[नियम 13]

[...ders (Civil), Rule 189, Appendix 'E', Form No 91.]

मुकदमा

श्री शिवप्रसाद बनाम श्री घनश्यामलाल

किस्म मुकदमा दा.प्रा. नं. 162/प्रथम/83

253/दावा/2002

214/दावा/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	दफ्तर व तारीख तामील हुक्म की तारीख में बाकी हुए
22/7/83	वकील वादी उपस्थित। वाद दर्ज रजिस्टर हो। तारीख 7/9/83 नियत हो। जवाब दावा हेतु प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हो।	जारी 1/8
7/9/83	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित नहीं। सम्मन लौट कर नहीं आया है। पुनः सम्मन तलबाना प्रतिवादी तलब रजिस्टर्ड 27/10/83 नियत है।	
27/10/83	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी श्री घनश्यामलाल स्वयं उपस्थित	

निरन्तर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

समझा जावेगा और बंधकगृहिता को बंधक भूमि बंधककर्ता को सम्भलाना होगा। धारा 43 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा यहां ऐसा कोई बंधक पत्र या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि बंधक किसी निश्चित नियमों में किया गया था और वह अब भी उन्हीं नियमों से शासित हैं और उस आधार पर वह विवादित भूमि पर काबिज हैं। धारा 43 (4–ङ) के अनुसार कोई बंधकदार जो बिना पर्याप्त कारण के धारा 43(घ) के मुताबिक बंधक अवधि 05 वर्ष के समाप्ति के 03 माह अंदर बंधककर्ता को सम्पत्ति पर कब्जा देने में विफल रहता हैं, सिद्ध–दोष होने पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती हैं अथवा जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा। धारा 43 (5) के अनुसार बंधकगृहिता बंधककर्ता को भूमि का कब्जा वापिस परिदत्त नहीं करता हैं तो बंधकगृहिता को अधिकार होगा कि वह धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत उसे बेदखल करवाये। चूंकि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का बंधक 05 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका हैं, इसलिये प्रतिवादी विवादित भूमि पर सिफ अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं। अतः नियमों के अन्तर्गत विवादित आराजी का बंधक मोचन हो चुका हैं और प्रतिवादी विवादित आराजी पर सिफ अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं, जिसे बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी हैं।

अतः वाद वादी डिक्री जाता हैं एवं जमाबंदी सम्वत् 2052–55 ग्राम खटकड़ तहसील व जिला बून्दी के खाता संख्या 290 पुराना 262 की आराजी खसरा संख्या 641 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश प्रदान कर तहसीलदार, रायथल को निर्देशित किया जाता हैं कि वह विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रतिवादी के मु0बि0क के इन्द्राज को विलोपित किया जाना सुनिश्चित करें एवं भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी कर पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन लाल, आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी